

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।

1. यदि कोई छात्र/छात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसके दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।
2. यदि कोई छात्र / छात्रा जो रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो उसे संस्थान से निष्कासित किया जायेगा ।
3. उ० प्र० संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2010 की धारा 5 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र/छात्रा को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिला नहीं किया जायेगा ।

उ० प्र० संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2010